राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(51) परि/नियम/मु./2010/9563 जयपुर, दिनांकः 08.05.18

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः– मोटर ड्राईविंग स्कूल नियंत्रण एवं विनियमन स्कीम "एम.डी.एस.आर.– 2018" के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा पूर्व में मोटर ड्राईविंग स्कूलो के संबंध में जारी समस्त आदेशों का प्रत्याहरित (withdraw) करते हुए कार्यालय आदेश 11/2018 दिनांक 13.04.2018 से मोटर ड्राईविंग स्कूल नियंत्रण एवं विनियमन स्कीम "एम.डी.एस.आर.– 2018" जारी की जा चुकी है। नवीन "एम.डी.एस.आर.–2018" स्कीम के पार्ट–III के बिन्दु संख्या 10 निम्नानुसार हैः–

"मोटर ड्राईविंग स्कूल एम.डी.एस.आर–2018 के प्रभावी होने के 6 माह की अवधि तक विभाग द्वारा पूर्व में अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूलों को जारी लाईसेंस वैध होगा, परन्तु ऐसे प्रत्येक स्कूल को इस 6 माह की अवधि में संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी के समक्ष लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस अवधि के पश्चात् ऐसे मोटर ड्राईविंग स्कूल को पूर्व में जारी लाईसेंस क्लोज 10 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निरस्त किया जायेगा तथा स्कूल को जारी लाइसेंस संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। निर्धारित 6 माह की अवधि के पश्चात् अगर ऐसा मोटर ड्राईविंग स्कूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसको आवेदन पत्र नये स्कूल के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वर्णित फार्म मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लाईसेंस में स्कूल की श्रेणी का अंकन किया जाकर मोटर ड्राईविंग स्कूल को लाईसेंस लौटाया जायेगा।"

एम.डी.एस.आर–2018 स्कीम के उपरोक्त प्रावधान को लागू करने के क्रम में आपके क्षेत्राधिकार मे स्थित समस्त मोटर ड्राईविंग स्कूलों की जांच हेतु तकनीकी योग्यता धारी जांच दल का गठन कर प्रत्येक मोटर ड्राईविंग स्कूल के वर्तमान में स्थापित मानदण्डों एवं अपेक्षाओं की तुलना में एम.डी.एस. आर–2018 की मूलभूत आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं के समस्त मानदण्डों एवं अपेक्षाओं का अन्तर विश्लेषण (Gap analysis) करते हुये पाये गये अन्तर का सम्पूर्ण चार्ट टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट तैयार कराकर मुख्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवस में प्रेषित करेंगें।

उपरोक्त आशय की अन्तर विश्लेषण रिपोर्ट समस्त मोटर ड्राईविंग स्कूल के लाईसेंस धारकों को पत्र के माध्यम से व्यक्तिशः तामिल/सूचित करायी जायेगी, जिसमें उन्हें सभी मानदण्डो एवं अपेक्षाओ जिनका उल्लेख अन्तर विश्लेषण रिपोर्ट में है, को स्कीम जारी होने के 6 माह के भीतर अथवा 31.10.2018 तक पूर्ति कर पुनः एम.डी.एस. आर–2018 के मानदण्डों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप मोटर ड्राईविंग स्कूल की जांच कराने हेतु निर्देशित किया जावें। तय समय सीमा में एम.डी.एस.आर.–2018 के मानदण्डो एवं अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करने वाले मोटर ड्राईविंग स्कूल के लाईसेंस दिनांक 31.10.2018 के पश्चात् निलंबित समझे जायेगें। तत्पश्चात् ऐसे निलंबित मोटर ड्राईविंग स्कूल के लाईसेंस धारको को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त निरस्त कर दिया जावें।

आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव